नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर

(म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

प्रधान कार्यालय : 73, गोविन्दपुरी, विश्वविद्यालय मार्ग, ग्वालियर–474 011

पत्र क्रमांक :
मुख्या./2025–26/47/

दिनांक:
16.03.2026

प्रति,

पृष्ठांकित विवरणानुसार

विषय – **बैंक के लेखावर्ष 2026–2027 का आन्तरिक सतत् अंकेक्षण कराने बावत्।**

संदर्भ – **रिजर्व बैंक परिपत्र बैंक श.बै.वि. (पीसीबी) एमसी सं0/13/09.06.00/2005–05 दिनांक 23.09.2004 तथा POT.PCB/30/09.96.00/2001-2002 Date 12-02-2002**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि हमारी बैंक वर्तमान में ग्वालियर महानगर में कार्यरत प्रधान कार्यालय, ईडीपी, के साथ–साथ आठ शाखाओं में सनदी लेखाकारों से आन्तरिक सतत् अंकेक्षण कराना चाहती है। शहरी सहकारी बैंकों में आन्तरिक सतत् अंकेक्षण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देश/परिपत्र की फोटो प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर जानकारी हेतु भेजी जा रही हैं।

संलग्न परिपत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4 में से 4.1.5 विदेशी विनिमय लेन–देन को छोड़कर (क्योंकि बैंक यह कार्य नहीं करती है) शेष सभी बिन्दुओं {4.1.1(cash), 4.1.2(Investment), 4.1.3(Deposit), 4.1.4(Advance), 4.1.6(House Keeping), 4.1.7(Other Items)} कस्टमर सर्विस तथा EDP Audit System का आन्तरिक अंकेक्षण कराना चाहते हैं।

बैंक की वित्तीय स्थिति दिनांक 28 फरवरी 2026 पर निम्नानुसार है:–

कुल विनियोजन –	– राशि रू. 2,19,63 लाख
कुल अमानतें –	– राशि रू. 3,92,12 लाख
कुल ऋण एवं अग्रिम –	– राशि रू. 2,05,97 लाख
ग्वालियर संभाग में बैंक के शाखाओं की संख्या 8 एवं प्रधान कार्यालय है।	

आन्तरिक सतत् अंकेक्षण की अवधि दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक रहेगी। ऑडिट रिपोर्ट शाखावार त्रैमासिक आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक, Deaf, GOI, DICGC तथा अन्य को नियमानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सत्यापित कराकर भेजे जाने वाले रिटर्न को प्राथमिकता आधार पर प्रमाणित करने का कार्य भी करना होगा। सतत् अंकेक्षण हेतु भारतीय रजिर्व बैंक से समय समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशो अनुसार भी पूर्ति करना होगी।

कृपया उपरोक्त कार्य का पारिश्रमिक का खुलासा करते हुए रिजर्व बैंक के निर्देशों अन्तर्गत बैंक का आन्तरिक सतत् अंकेक्षण सम्पन्न करने हेतु अपनी सहमति दिनांक 20 मार्च 2026, दिन शुक्रवार तक भेजने का कष्ट करें।

आपका उत्तर प्राप्त होने पर बैंक इस विषय पर अंतिम निर्णय कर सकेगा।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

भवदीय,

16/3/26

महाप्रबंधक
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर
73, गोविंदपुरी, वि0 वि0 मार्ग ग्वालियर

फोन : 0751–2371603, 4923201
email: nsbho@nsbgwalior.com • webside : www.nsbgwalior.com

(1)

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
गारमेंट हाऊस, पहली मंजिल
वरली, मुंबई - 400 018

"अर्बक्रेडिट" मुंबई
"URBCREDIT" MUMBAI

011-74492

497 4030

टेलीफोन सं.
Telephone N

पोस्ट बॉक्स सं.
Post Box No.: 6587

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE
WORLI, MUMBAI - 400 018

कृपया उत्तर में लिखें
Please quote in reply

संदर्भ शबैवि सं
Ref. UBD No. .....पीओटी.पीसीबी. 30 /09.96.00/2001-02

12 फरवरी 2002

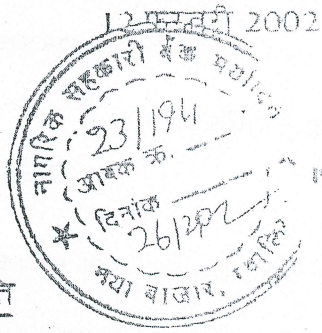

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया,

इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन (ईडीपी)- लेखा-परीक्षा पध्दति

शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के निरंतर बढ़ते प्रयोग और बढ़ते यांत्रीकरण पर विचार करने के बाद उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए जिन्होंने अपने परिचालनों को पूर्णतः अथवा अंशतः कंप्यूटरीकृत कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन (ईडीपी) लेखा-परीक्षा को लागू करना अनिवार्य हो गया है। अतः ऐसे बैंकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन लेखा-परीक्षा शुरु करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उन बैंकों में जहां स्वतंत्र निरीक्षण और लेखा-परीक्षा विभाग हैं, वहां कंप्यूटरीकृत परिचालनोंवाली शाखाओं/ कार्यालयों की ईडीपी लेखा-परीक्षा करने के लिए निरीक्षण और लेखा-परीक्षा विभाग के एक भाग के रूप में एक ईडीपी लेखा-परीक्षा कक्ष शीघ्र गठित किया जाए। तथापि, ऐसे शहरी सहकारी बैंक जहां स्वतंत्र निरीक्षण और लेखा-परीक्षा विभाग नहीं है, ऐसे समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करें जो, आवश्यकता पड़ने पर, ईडीपी लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादित कर सकें। इन ईडीपी लेखा-परीक्षा कक्षों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण उन लेखा परीक्षा समितियों द्वारा किया जाएगा जो बैंकों द्वारा स्थापित (24) 25 जुलाई 1994 और 12 जुलाई 2001 के क्रमशः परिपत्र शबैवि.प्लान.सं.9 /09 .06. 00 /1994-95 और शबैवि.प्लान. सं.3/09.06.00/ 2000-01 के अनुसार गठित की गई हैं। इस संबंध में पूर्णतः/ अंशतः कंप्यूटरीकृत परिचालनोंवाले शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करें

(i) सक्षम और अभिप्रेरित ईडीपी कार्मिकों की एक टीम विकसित की जाए। कुछेक व्यक्तियों के बजाय कई व्यक्तियों को साथ लेकर सामूहिक रूप से विकसित किया गया सिस्टिम तैयार करना फायदेमंद है ताकि मुख्य व्यक्तियों की अनुपस्थिति में कार्य में कोई बाधा न आए। ईडीपी लेखा परीक्षकों के

तकनीकी ज्ञान को, सेमिनारों / सम्मेलनों में प्रतिनियुक्ति, तकनीकी स्वरूप की पत्रिकाओं और पुस्तकों की आपूर्ति आदि की सहायता से निरंतर आधार पर बढ़ाते रहना चाहिए।

(ii) सिस्टिम प्रोग्रैमर / डिजाइनर के काम सिस्टिम परिचालित करनेवाले व्यक्ति को नहीं सौंपे जाने चाहिए। सिस्टिम प्रोग्रैम / डिजाइन करने के लिए अलग व्यक्ति होने चाहिए जो इस काम के लिए पूर्णतः समर्पित होंगे। सिस्टिम तैयार करनेवाला व्यक्ति केवल प्रोग्रैमों में संशोधन / सुधार करेगा और सिस्टिम परिचालित करनेवाला व्यक्ति प्रोग्रैम में फेरफार के किसी अधिकार के बिना उसे केवल परिचालित करेगा

(iii) कंप्यूटरों में सुरक्षा का उल्लंघन करनेवाले मुख्य घटक हैं,- सिस्टिम का अपर्याप्त और अपूर्ण होना, प्रोग्रैमिंग संबंधी त्रुटियां, कमजोर और अपर्याप्त अनुमति का प्रवेश नियंत्रण, क्रियाविधिगत नियंत्रणों का अभाव अथवा उनका निकृष्ट होना एवं अप्रभावी कर्मचारी पर्यवेक्षण और प्रबंध नियंत्रण। इन खामियों को निम्नलिखित द्वारा पूरा किया जा सकता है :

(क) सिस्टिमों में भौतिक, तार्किक और क्रियाविधिगत पहुंच को सशक्त बनाना।

(ख) गुणवत्ता के आश्वासन के लिए आवधिक परीक्षण एवं जांच हेतु मानक लागू करना।

(ग) ईडीपी अनुप्रयोग वाले क्षेत्रों में नियोजन से पहले कर्मचारियों की जांच-परख करना और उनके बर्ताव पर नजर रखना।

(iv) बैंक द्वारा अनुपालन किए जानेवाले सिस्टिम विकास प्रणाली, प्रोग्रैमिंग और प्रलेखीकरण संबंधी मानदंडों की औपचारिक घोषणा की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर सिस्टिम के रखरखाव / सुधार की गुणवत्ता को नुकसान पहुँच सकता है। ईडीपी लेखा-परीक्षकों को इसके अनुपालन की जांच कर लेनी चाहिए।

(v) सिस्टिम में खराबी आ जाने की स्थिति से निपटने के लिए आपात्कालीन योजनाएं / क्रियाविधि लागू की जानी चाहिए और उनका आवधिक अंतरालों पर परीक्षण करते रहना चाहिए। ऐसे प्लान कितने प्रभावी हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षकों को लेखा-परीक्षा के दौरान ऐसे प्लानों की जांच कर लेनी चाहिए।

(vi) प्रत्येक बैंक को अपने निरीक्षकों /लेखा-परीक्षकों के उपयोग के लिए एक अनुदेश पुस्तिका रखनी चाहिए और परिचालन क्षेत्र तथा नीतियों और क्रियाविधियों की अद्यतन गतिविधियों को उसमें शामिल करने के लिए उसे आवधिक तौर पर अद्यतन करते रहना चाहिए।

(vii) अवांछनीय घटकों के आक्रमण से कंप्यूटर सिस्टिम को बचाने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली लागू की जानी चाहिए। किसी एक विशिष्ट हस्तचालित क्रियाविधि के स्थान पर ईडीपी अनुप्रयोग लागू करने से पहले यथोचित समयावधि तक दोनों सिस्टिमों को एक साथ चलाकर ईडीपी अनुप्रयोग की सुरक्षा, विश्वसनीयता और उससे डाटा प्राप्त करने संबंधी सभी पहलुओ को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

(viii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईडीपी अनुप्रयोग डाटा संपूरित करने, संसाधित करने एवं उत्पादन देने के लिए सुसंगत और विश्वसनीय रूप से सुसज्ज हो गया है, डाटा के त्रुटिपूर्ण संसाधन का पता लगाने, डाटा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने, डाटा के असंगत होने का पता लगाने और प्रत्यक्ष फार्मो से डाटा का मिलान करने हेतु विभिन्न परीक्षण अमल में लाए जाने चाहिए।

(ix) बाहरी कंप्यूटर एजेंसियों को काम सौंपते समय बैंक को संविदा में " कार्य-स्थल पर जाकर निरीक्षण करने के अधिकारों की शर्त " को शामिल करना चाहिए ताकि बैंक को संसाधनों के अनुप्रयोग के निरीक्षण का अधिकार हो और बाहरी एजेंसियो को दिए गए डाटा / निविष्टियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(x) ईडीपी कार्यकलापों का संपूर्ण अधिकार-क्षेत्र (नीति-निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक) निरीक्षण और लेखा-परीक्षा विभाग की संवीक्षा के अंतर्गत होना चाहिए ।ईडीपी विभाग के वित्तीय व्यय और उसके द्वारा निष्पादित किए जानेवाले कार्यों की समीक्षा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आवधिक अंतरालों पर की जानी चाहिए ।

(xi) विभिन्न शाखाओं /कार्यालयों द्वारा प्रयोग किए जा रहे साफ्टवेयर में एकरूपता लाने के लिए मानक साफ्टवेयर में परिवर्तन करने की एक निश्चित पध्दति होनी चाहिए और उसका अनुमोदन वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए । नियंत्रण रखने की दृष्टि से और अन्य शाखाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए निरीक्षण और लेखा-परीक्षा विभाग को ऐसे परिवर्तनों का सत्यापन करना चाहिए ।

2. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति -सूचना देने के साथ-साथ की गई कार्रवाई से इस विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराएं जिसके क्षेत्राधिकार में आपका बैंक आता है ।

भवदीय

सुदर्शन सेन

(सुदर्शन सेन)
महाप्रबंधक